सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3151/JH/202/2025-RU-IV दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला-साहिबगंज,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
साहिबगंज, झारखंड 816109
ई-मेल: sp-sahebganj@jhpolice.gov.in

विषय: **प्रार्थिनी के विरूद्ध जातिसूचक शब्दों का प्रयोग तथा गाली-गलौज करने के संबंध में – श्रीमती रानी हांसदा, पति-श्री शिवनाथ टुड्डू, ग्राम-धनजोरी/बरहेट पोस्ट, थाना तथा प्रखंड-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) का 17.10.2025 का पत्र**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई रिपोर्ट कार्रवाई की 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

16.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्रीमती रानी हांसदा,
पति-श्री शिवनाथ टुड्डू,
ग्राम-धनजोरी, बरहेट
पोस्ट, थाना तथा प्रखंड- बरहेट,
जिला-साहेबगंज (झारखंड) - 816102,

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-3151/JH/202/2025-RU-IV

अभ्यावेदिका श्रीमती रानी हांसदा, पति-श्री शिवनाथ टुड्डू, ग्राम-धनजोरी, पोस्ट, थाना एवं प्रखंड-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, प्रार्थिनी के विरुद्ध जातिसूचक शब्दों का प्रयोग एवं गाली-गलौज किए जाने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदिका श्रीमती रानी हांसदा, पति-श्री शिवनाथ टुड्डू, ग्राम-धनजोरी, पोस्ट, थाना एवं प्रखंड-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि बरहेट थाना प्रभारी श्री पवन कुमार द्वारा उनके विरुद्ध जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया गया। अभ्यावेदिका, जो वर्तमान में "मानवाधिकारी एवं क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया" में प्रमंडल उपसचिव के पद पर कार्यरत हैं, ने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध उचित विधिसम्मत कार्रवाई करने तथा उनकी सामाजिक गरिमा एवं प्रतिष्ठा की रक्षा किए जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पुलिस अधीक्षक, जिला-साहेबगंज (झारखंड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), साहेबगंज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिला प्रशासन द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (Sub Judice) है। अतः आयोग इस मामले में आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझता तथा प्रकरण को बंद करता है। तथापि, न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय की प्रति उपलब्ध होने पर संबंधित प्राधिकारी आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आशा लकड़ा
12/06/2026

डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in